BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. C-21

Dated: **04-09-2026**

It is certified that the existing building **Birla Open Minds International School** (name of the building or premises) at **Dhaneli, Chitora Road, Badagaon, Morar, Gwalior (M.P.)** (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	03	02	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

The building is owned/occupied by **Birla Open Minds International School** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **Conarch Builders & Consultants** (Name of Department/Govt.) on **02-09-2026** (date of inspection) in the presence of **Mr. Abhishek Singh Bhadoriya, 13 Anupam Nagar, Gwalior** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from **04-09-2026** for a period of **20 Years** years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1.
2.
3. **N.A.**
4.

Issued on **04-09-2026** at **Gwalior** by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal: _____

Name: **Er. B.S. Jadon**

Designation: **Civil Engg.**

Name & Address of Department/ Office: **Conarch Builders & Consultants**

Scanned with CamScanner

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश
इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम
2012 के नियम 26 के अधीन अनुज्ञप्ति



अनुज्ञप्ति क्रमांक- IER210918084747319

यह अनुज्ञप्ति IER210918084747319 की अधिकारिता के भीतर कर्तव्यों का पालन करने के लिए जैसा कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में दिया गया है,मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक- 24/SEP/2024 को समाप्त होगी, अनुज्ञप्ति धारी ने Beer Singh Jadon क्रमांक- IER210918084747319 दिनांक 18/SEP/2021 के अनुसार रू 1500.00 /- की फीस का भुगतान किया है।

यह अनुज्ञप्ति नीचे दी गई शर्तों के अध्ययीन होगी।

स्थान: भोपाल

दिनांक: 24/SEP/2021

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल,(म.प्र.)

शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय है।
2. अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यालय में किसी सहजगोचर स्थान पर इस अनुज्ञप्ति की मूल प्रति लगायेगा और सभी समुचित समयों पर संचालक नगर तथा ग्राम निवेग के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा (अधिकारिता रखने वाले अधिकरी) उसका परीक्षण किया जा सकेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख के पूर्व उसका नवीनीकरण करायेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंध का पालन करेगाा और इस अनुज्ञप्ति के निबंधन के अंतर्गत कार्य करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी की सक्षमता मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधो द्वारा निर्धारित की जाएगी।
6. समूह या अभिकरण-जब कोई अभिकरण या कोई अर्हता प्राप्त वास्तुविद , इंजीनियर या नगर निवेशक का समूह का कार्य कर रहा हो, तब कार्य की अर्हता और सक्षमता उस समूह या अभिकरण में व्यक्ति विशेष की उच्चतम सक्षमता के तुल्य होगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी रेखांक तैयार करने तथा उनके द्वारा किये गये पर्यवेक्षण कार्य संबंधी सभी संगत अभिलेख रखेगा, इस अभिलेख का निरीक्षण अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी तैयार किये गये प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम और अनुज्ञप्ति क्रमांक लिखे और अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
9. यह अनुज्ञप्ति मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित शर्तों के अध्ययीन होगी और इन शर्तों में से किसी शर्त का भंग होने पर तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध की जाने वाली अन्य विधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना यह अनुज्ञप्ति रद्द हो जावेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल,(म.प्र.)

Scanned with CamScanner